न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जयप्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 43/2010/रेफरेन्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर

प्रार्थी

बनाम

कैलाश चन्द पुत्र मालाराम जाति बलाई निवासी झालरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांकः–24.10.2019**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम झालरा तहसील नीमकाथाना में भूमि ख0नं0 212 किस्म गै.मु.बेहड़ सम्वत् 2019–2022 में दर्ज रिकार्ड थी। उक्त भूमि में से 5 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 19.12.75 को कैलाश चन्द पुत्र मालाराम जाति बलाई निवासी झालरा के नाम कृषि योग्य भूमि मानकर आवंटन कर दी। राजस्व रेकार्ड में आज तक आवंटित भूमि का अमल दरामद नहीं हुआ है तथा भूमि सिवायचक गे.मु.बेहड़ दर्ज है। मौके पर उक्त खसरा नम्बर में आवंटी का कोई कब्जा काश्त नहीं है। अतः आवंटन दिनांक 19.12.75 को निरस्त किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत है।

रेफरेन्स आवेदन प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की और से वकील श्री मोहनलाल ने वकालतनामा पेश किया। दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी अनुपस्थित। रेफरेन्स आवेदन का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2019–2022 के मुताबिक खसरा नम्बर 212 राजस्थान सरकार किस्म गै.मु.बेहड़ दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2027–2030 में भी उक्त आराजियात सरकारी भूमि झाड़ी वाली जंगल किस्म गै.मु.बेहड दर्ज रिकार्ड अंकित है। जमाबन्दी सम्वत् 2052–2055 में भी उक्त आराजियात राजस्थान सरकार किस्म गै.मु.बेहड़ एवं कृषि अयोग्य भूमि केवल चराई के लिए होना अंकित है। चूंकि भूमि की किस्म गै.मु. बेहड़ दर्ज रिकार्ड अंकित है एवं उक्त जमीन जो खेती के लिए उपलब्ध नहीं है। उक्त भूमि का आवंटन अप्रार्थी के नाम किया गया है। आवंटित भूमि पर अप्रार्थी/आवंटी का कब्जा नहीं है। गै.मु.बेहड़ जो की पशुओं के चराई योग्य भूमि होने से अप्रार्थी के नाम गलत आवंटन किया गया है, उक्त भूमि आवंटन योग्य नहीं है। उक्त आवंटन आदेश को निरस्त करवाने बाबत तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया है। प्रकरण आवंटन आदेश के विरूद्व होने से प्रकरण को नियम 14(4) में समायोजित किया जाता है। नियम 14(4) इस प्रकार है– The Collector shall have the power to cancel any allotment made by a Sub-Divisional Officer (or a tehsildar under the rules repealed by Rule 21 of the rules) either suo moto or on the application of any person in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation or has been made ahainst rules or in case the allottee has committed breach of any of the conditions of allotment :

provided that no such order to the prejudice of any person shall be passed without giving such person an opportunity of being heard.

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2019–2022 के मुताबिक खसरा नम्बर 212 राजस्थान सरकार किस्म गै.मु.बेहड़ दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2019–2022 से जमाबन्दी सम्वत् 2052–2055 तक उक्त आराजियात राजस्थान सरकार किस्म गै.मु.बेहड़ एवं कृषि अयोग्य भूमि केवल चराई के लिए होना अंकित है। चूंकि भूमि की किस्म गै.मु.बेहड़ दर्ज रिकार्ड अंकित है एवं उक्त जमीन जो खेती के लिए उपलब्ध नहीं है। उक्त भूमि का आवंटन अप्रार्थी के नाम किया गया है। आवंटित भूमि पर अप्रार्थी/आवंटी का कब्जा नहीं है। आवंटित भूमि पर आवंटियों का कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटियों को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुये है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी के अनुसार खसरा नम्बर 212 सम्पूर्ण रकबा राज्य सरकार के खाते में दर्ज है। तहसीलदार की रिपोर्ट से इस बात का पर्याप्त साक्ष्य है कि आवंटित भूमि पर आवंटिती व्यक्ति का कब्जा काश्त नहीं है। अतः प्रथम दृष्टा आवंटित भूमि पर आंवटियों का कब्जा काश्त नहीं होने के कारण आवंटन बहाल रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम झालरा तहसील नीमकाथाना की तन में स्थित भूमि खसरा नम्बर 212 किस्म गै.मु.बेहड़ में से अप्रार्थी कैलाश चन्द पुत्र मालाराम जाति बलाई निवासी झालरा तहसील नीमकाथाना के पक्ष में दिनांक 19.12.75 को किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/10/19

(जयप्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर